

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1361

दिनांक 30/05/24

प्रार्थी:-

1 मगा पुत्र टीकमा
जाति जाट,
निवासी रतासर
तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण:-

1.तुलसा 2.भैरा 3.धरमा पि.अर्जुन 4.चुतरा पुत्र देवा 5 वीरा
6.करना 7.काना पि.शिवलाल 8.पारू पत्नि शिवलाल 9 फुसा
10.रायचन्द 11.तुलसा 12.खेता 13.कवरा पि.जीया, जाति
जाट, निवासी रतासर, तहसील चौहटन 14.रा.उ.मा.वि जरिय
प्रधानाचार्य रतासर 15.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 40/2023

दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
जैसार के मौजा सुथारो का तला के खेत खसरा सं. 29 रकबा 09.9553 हैक्टेयर एवं मौजा रतासर
के खेत खसरा सं. 175 रकबा 05.3742 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु
आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर
पर किमी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को
आधार मानकर विधिमम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में
अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
OK

दिनांक 30/05/24

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1362 to 1365

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी मगा
3. विप्रार्थीगण तुलसा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ


(सरजमान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
OK